मामलों का विवरण

सबीर (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम।

एल. आर. एस. के माध्यम से ए. एन. जे. यू. एम. ए. एन. (SINCE DECEASED)। (2023 की सिविल अपील संख्या 6075)

22 सितंबर, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयः(i) क्या विशिष्ट ग निष्पादन के लिए मुकदमा सीमा की अवधि के भीतर किया गया था; (ii) क्या उत्तरदाता अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे।

सूट-विशिष्ट प्रदर्शन-सीमा-अनुबंध करने की तैयारी और इच्छा-प्रतिवादी ने विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया-मुकदमा तय किया गया था-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया-इसके बाद उत्तरदाताओं ने दूसरी अपील दायर की**,** जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी-स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःबेचने के समझौते (दिनांक 31.07.1975) के खंड 3 में कहा गया है कि अपीलकर्ता उस तारीख से 8 दिनों के भीतर संपत्ति की बिक्री के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन करेंगे-इसके बाद, यह निर्धारित किया गया था कि इस तरह की सूचना के 15 दिनों के भीतर, प्रतिवादी या तो अपने पक्ष में या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित कराएंगे और खर्च उत्तरदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे-अपीलकर्ताओं ने बेचने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था-उत्तरदाताओं ने एटीएस के विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए 01.01.1981 पर मुकदमा दायर किया था-नौवें (9 वें) दिन से, उत्तरदाताओं पर जिम्मेदारी स्थानांतरित हो गई थी, अगर 8 दिनों के भीतर अपीलकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था।

1127 1128

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

ए. टी. एस. के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और शेष/शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक होना, केवल सीमा के आधार पर उत्तरदाताओं के मुकदमे को खारिज करने के लिए पर्याप्त है-सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के अनुसार, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे को दायर करने की सीमा 3 साल है-तत्काल मामले में, बेचने का समझौता

दिनांकित है और मुकदमा 01.01.1981 पर चलाया गया था-मुकदमे को खारिज करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश बहाल हो जाता है।[पैरा 10,11,12,13]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

गेवारचंद बनाम महेंद्र सिंह (2018) 10 एस. सी. सी. 588:[2018] 11 एससीआर

738; बासवराज बनाम भूमि अधिग्रहण कार्यालय (2013) 14 एस. सी. सी. 81:[2013] 8

एससीआर 227-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 6075।1984 के एस. ए. सं. 1574 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 1 से।

रूपः

पी. के. जैन, सौरभ जैन, एस. पी. सिंह राठौर, पी. के. गोस्वामी, अरुणांश भारती गोस्वामी, कफील अहमद, सुजीत कुमार झा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

निजाम पाशा, सुश्री आयुषी मिश्रा, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

सबीर (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।अंजुमन (एस. आई. एन. सी. ई.

1129

निर्णय लिया गया) एलआरएस के माध्यम से। [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे।]

3. बेचने के समझौते के दोनों मूल पक्षों का अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों (एलआर) के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है।अपीलकर्ता प्रतिवादी के एल. आर. होते हैं जबकि प्रतिवादी वादी के एल. आर. होते हैं।4. वर्तमान अपील 1984 की दूसरी अपील में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश (जिसे इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ निर्देशित है (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसके द्वारा उत्तरदाताओं के नेतृत्व में दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी; प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था, और; निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया था और बहाल कर दिया गया था।

वास्तविक प्रिज्मः

5. अपीलार्थियों द्वारा 31.07.1975 पर उत्तरदाताओं के पक्ष में बिक्री के लिए एक समझौता (इसके बाद "ATS" के रूप में संदर्भित) निष्पादित किया गया था।ए. टी. एस. ने कल्पना की कि अपीलकर्ताओं को आठ दिनों के भीतर संपत्ति बेचने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और अनुमति प्राप्त होने पर, उत्तरदाताओं को इसकी सूचना दी जानी चाहिए और उत्तरदाताओं द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बिक्री विलेख को निष्पादित किया जाना चाहिए।6, 000/- रुपये के कुल बिक्री प्रतिफल में से 1,000/- रुपये की कमाई का भुगतान किया गया था। अपीलकर्ताओं ने बेचने की किसी भी अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया, जिसके कारण उत्तरदाताओं ने ए. टी. एस. के विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए 01.01.1981 पर 1981 का 5 नंबर का मुकदमा दायर किया। मुकदमा दिनांक 08.03.1982 के फैसले द्वारा तय किया गया था। अपीलकर्ताओं ने 1982 की अपील का नेतृत्व किया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से अनुमति दी गई थी।इसके बाद प्रत्यर्थियों ने 1984 की दूसरी अपील No.1574 का नेतृत्व किया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 02.04.2010 पर अनुमति दी गई थी।इसके बाद अपीलकर्ता मामले को इस अदालत में ले गए, जिसने मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया। रिमांड पर, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए अपने दिनांक 18.07.2018 के फैसले द्वारा दूसरी अपील को फिर से स्वीकार कर लिया।उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.07.2018 के फैसले पर यहाँ आक्षेप किया गया है।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुतियाँः

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने वाद का आदेश देते समय तथ्यों और कानून की पूरी तरह से गलत सराहना की थी।यह कहा गया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने और उस पर कानून लागू करने के बाद, 1130 को सही तरीके से उलट दिया।

विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण, और मुकदमे को खारिज कर दिया।यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने कोई ठोस कारण बताए बिना, सामग्री/तथ्यों और कानून की गलत सराहना पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को उलट दिया था।विद्वान वकील ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप की मांग की गई थी।यह तर्क दिया गया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ए. टी. एस. में विभिन्न खंडों की पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थियों ने पांच वर्षों से अनुमति के लिए आवेदन नहीं करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया था; जिससे पता चलता है कि प्रत्यर्थियों ने अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं थे, और इसलिए, मुकदमे को सीमा से रोक दिया गया था।

7. यह प्रस्तुत किया गया था कि ए. टी. एस. दिनांक 31.07.1975 के खंड 3 और 4 से संकेत मिलता है कि विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए अदालत में जाने का समय 31.07.1975 से 8 वें दिन की समाप्ति पर शुरू हुआ और इस प्रकार, 01.01.1981 पर मुकदमे की भाषा स्पष्ट रूप से इस तरह के मामले को स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि से परे थी।उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुतियाँः

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने सही निर्णय दिया था कि अपीलकर्ताओं को अनुमति के लिए आवेदन करना था और उसे प्राप्त करने पर प्रत्यर्थियों को सूचित करना था और इस तरह की सूचना के पंद्रह दिनों के भीतर, प्रत्यर्थियों को बिक्री विलेख को निष्पादित करना था।चूंकि अपीलकर्ताओं ने आवेदन भी नहीं किया था और इस प्रकार, कभी भी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किया था और इसलिए, मुकदमा सीमा से प्रभावित नहीं होगा।यह उनका निवेदन था कि मुकदमा सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था।

9. यह आगे तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थियों ने मौखिक रूप से अपीलकर्ताओं को शेष राशि का भुगतान करने और एटीएस के अनुसार समय-सीमा के संदर्भ में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए अपनी इच्छा दिखाई थी, लेकिन अपीलकर्ताओं ने एटीएस की शर्तों के अनुसार कार्य करने से इनकार कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थियों, जो किरायेदार थे, ने अपीलकर्ताओं के माध्यम से संबंधित नगर निगम द्वारा अनुमोदित मानचित्र प्राप्त करने के बाद वर्ष 1978 में 5,000/- रुपये का निवेश करके संपत्ति का पुनर्निर्माण भी कराया था।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्षः

10. मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय यह निर्णय देता है कि विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।ए. टी. एस. दिनांकित 31.07.1975 की सही टाइप की गई प्रति को 1131 के लिए विद्वान वकील द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है।

सबीर (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।अंजुमन (एस. आई. एन. सी. ई.

डिसेस्ड) थ्रू एल. आर. एस. [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 1132

याचिकाकर्ता।इसके खंड 3 में निर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता उस तारीख से 8 दिनों के भीतर संपत्ति की बिक्री के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के समक्ष अनुमति के लिए

आवेदन करेंगे और उसी के दिए जाने पर इसे पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रत्यर्थियों को सूचित करेंगे।इसके बाद, यह निर्धारित किया गया कि इस तरह की सूचना के 15 दिनों के भीतर, उत्तरदाता या तो अपने पक्ष में या अपनी पसंद के व्यक्ति के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करेंगे और खर्च उत्तरदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।इसके अलावा, खंड 4 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि अपीलकर्ता निर्धारित समय के भीतर अनुमति के लिए आवेदन नहीं करते हैं या अनुमति प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थियों को सूचित नहीं करते हैं और प्रत्यर्थियों या उनकी पसंद के किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विलेख निष्पादित नहीं करते हैं, तो प्रत्यर्थियों को न्यायालय के माध्यम से अपने पक्ष में निष्पादित की गई संपत्ति की बिक्री प्राप्त करने और न्यायालय के माध्यम से कब्जा करने का भी अधिकार होगा।प्रासंगिक खंडों का एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अनुमति के लिए 8 दिनों के भीतर आवेदन करने और अनुमति प्राप्त होने पर उत्तरदाताओं को सूचित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थियों पर थी, जिसके बाद उत्तरदाताओं को 15 दिनों के भीतर बिक्री विलेख को निष्पादित करना था।यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसा करने में विफलता की स्थिति में, यानी या तो अनुमति के लिए आवेदन नहीं करने की स्थिति में या 'अनुमति प्राप्त होने पर उत्तरदाताओं को सूचित नहीं करने की स्थिति में, उत्तरदाताओं को बिक्री को निष्पादित करने के लिए और कब्जे के लिए भी अदालत का रुख करने का अधिकार था।इस प्रकार, नौवें (नौवें) दिन से, उत्तरदाताओं पर जिम्मेदारी स्थानांतरित हो जाएगी, यदि 8 दिनों के भीतर अपीलकर्ताओं ने अनुमति के लिए आवेदन भी नहीं किया था।चूंकि अपीलार्थियों पर 8 दिनों के भीतर आवेदन करने के कर्तव्य का पालन न करने या अनुमति की सूचना न देने के परिणाम दिए गए हैं, किसी भी आकस्मिकता में, प्रत्यर्थियों को अदालत का रुख करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

11. इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी यह दलील नहीं ले सकते हैं कि वे तब तक अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के हकदार होंगे जब तक कि अपीलकर्ता उन्हें अनुमति के बारे में सूचित नहीं करते।जैसे ही पहले आठ दिन समाप्त हुए, उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और जागरूक होकर उचित परिश्रम दिखाना पड़ा और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता थी।उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं को साढ़े पांच वर्षों के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था ताकि यह संकेत दिया जा सके कि वे इंतजार क्यों कर रहे थे या कि एटीएस के तहत दायित्वों के अपने हिस्से का पालन करने की उनकी इच्छा के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने एटीएस के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया था और उत्तरदाताओं को एटीएस के प्रवर्तन के लिए अदालत के समक्ष क्यों नहीं जाना चाहिए, जैसा कि उसके तहत विचार किया गया है।

इस तथ्य के साथ कि पूरे वाद में, प्रत्यर्थियों द्वारा कभी भी अपीलार्थियों को बुलाने या उन्हें नोटिस देने के संबंध में एक फुसफुसाहट भी नहीं है कि वे तैयार थे और शेष राशि का भुगतान करने और बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए तैयार थे, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से प्रत्यर्थियों की सहायता नहीं करता है।हम अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं जिससे उत्तरदाताओं को

मुकदमा दायर करने से पहले साढ़े पांच साल तक इंतजार करने का वैध या उचित कारण मिल सके।

12. अभिलेख पर शिकायत के अवलोकन से यह पता चलता है कि अनुच्छेद संख्या 6 में एक बयान है कि अक्टूबर, 1980 के महीने तक, मूल प्रतिवादी (मृत होने के कारण) और उसके पति (अब, कानूनी प्रतिनिधि के रूप में) ने अपीलकर्ताओं को बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए कहा था और फिर मूल प्रतिवादी (मृत होने के कारण) और उसके पति (अब, कानूनी प्रतिनिधि के रूप में) और उसके भाई को बेदखली का नोटिस दिया गया था।यह आगे कहा गया है कि यह उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं को अनुमति लेने के 15 दिनों के भीतर बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए कहने के बाद किया गया था।इस प्रकार, कहीं भी स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं दिया गया है कि उत्तरदाता शेष राशि का भुगतान करने और अपने पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक थे।इसे ध्यान में रखते हुए, डेढ़ साल के बाद भी, वाद में उनकी अपनी दलीलों से, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिवादी एटीएस के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और शेष/शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक थे, जो केवल सीमा के आधार पर प्रतिवादियों के मुकदमे को खारिज करने के लिए पर्याप्त है।ए. टी. एस. का दिनांक 31.07.1975 है और मुकदमा 01.01.1981 पर दायर किया गया था।सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के अनुसार, विशिष्ट ग निष्पादन के लिए एक मुकदमे के लिए सीमा निर्धारित की गई तारीख से 3 साल है।

निष्पादन या यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जब वादी ने नोटिस किया है कि

प्रदर्शन को अस्वीकार कर दिया जाता है।' गेवारचंद बनाम महेंद्र सिंह, (2018)

10 एस. सी. सी. 588 में, यह देखा गया कि सीमा के प्रश्न पर निर्णय लेते समय, मुख्य रूप से वाद के आरोपों को देखना आवश्यक है और यह देखना आवश्यक है कि वादी ने मुकदमे के लिए कार्रवाई के कारण का अभ्यावेदन कैसे किया है।इस न्यायालय ने बसावराज बनाम भूमि अधिग्रहण मामले में कहा कि प्रस्तावित सीमा

आधिकारिक तौर पर**, (2013) 14** एस**.** सी**.** सी**. 81** निम्नानुसार हैः

'12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए।अदालत के पास 1133 की कोई शक्ति नहीं है।

सबीर (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।अंजुमन (एस. आई. एन. सी. ई.

डिसेस्ड) थ्रू एल. आर. एस. [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 1134

न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि का विस्तार करना।"एक वैधानिक प्रावधान के कारण होने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है।एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को

दूर करने के लिए मानता है।" वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूरी तरह से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।कानूनी उक्ति ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है।यह लगातार माना गया है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. सीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय के साथ बासी हो गए हैं।हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, वॉल्यूम। 28,पी. 266:

"605. सीमा अधिनियमों की नीति।—अदालतों ने सीमाओं के कानूनों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात् (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) हो सकता है कि एक प्रतिवादी ने एक पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिया हो, और (3) कि कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।" एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्याय में जो हासिल किया जा सकता है या जो किसी पक्ष की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या बाधाओं से खो गया हो सकता है, उसमें गड़बड़ी या अभाव को रोकती है।(पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम एस. बी. आई. कर्मचारी संगठन देखें। [(2005) 7 एस. सी. सी. 510], राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह [(1973) 2 एस. सी. सी. 705:ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2537] और पुंडलिक जलम पाटिल बनाम जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एस. सी. सी. 448:(2009) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 907])'

(जोर दिया गया) 13.उपरोक्त कारणों से, हम विवादित निर्णय को दरकिनार कर देते हैं।मुकदमे को खारिज करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल कर दिया गया है।तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।

14. प्रत्यर्थियों ने 1975 में अपीलार्थियों को 1,000 रुपये का भुगतान किया था।उत्तरदाता इसके धनवापसी के हकदार हैं।हम इस तरह की एकमुश्त राशि की मात्रा निर्धारित करते हैं

अपीलार्थियों द्वारा उत्तरदाताओं को 01.01.2024 पर/उससे पहले भुगतान किए जाने वाले रु. 1,50,000 का धनवापसी, जो बीत चुके समय में फैक्टरिंग है।

15. मौजूदा परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान